उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून, उत्तराखण्ड

अपील संख्या : 41123

अपील अंतर्गत धारा 19 (3) सू. का अधि.अधिनियम. 2005

समक्ष : श्री योगेश भट्ट, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

अपीलकर्ता : श्री रमेशचन्द्र शर्मा, प्रबंधक ट्रस्टी धर्मशाला, गंगा दर्शन माई गिंदा कुँवर, सुभाषघाट, हरिद्वार।

बनाम

प्रत्युत्तरदाता :

1. लोक सूचना अधिकारी/वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज राजाजी टाइगर रिजर्व, फॉरेस्ट कालोनी, निकट रेलवे फाटक रानीपुर मोड हरिद्वार, जिला हरिद्वार।
2. विभागीय अपीलीय अधिकारी/वन्यजीव प्रतिपालक, हरिद्वार उप वन संरक्षक, हरिद्वार राजाजी टाइगर रिजर्व, फॉरेस्ट कालोनी, बिल्केश्वर, जिला हरिद्वार।
3. निदेशक/वन संरक्षक राजाजी टाईगर रिजर्व, 5/1 अंसारी मार्ग, देहरादून।

आदेश

आज सुनवाई के समय अपीलार्थी उपस्थित हुये। लोक सूचना अधिकारी/वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज राजाजी टाइगर रिजर्व श्री बिजेन्द्र दत्त तिवारी एवं निदेशक/वन संरक्षक राजाजी टाईगर रिजर्व, 5/1 अंसारी मार्ग, देहरादून की ओर से श्रीमती मंजू खनसली उपस्थित हुये। निदेशक/वन संरक्षक राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून द्वारा पत्र दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के माध्यम से अपनी आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसे परीक्षणोपरान्त पत्रावली का भाग बनाया गया।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग JP देहरादून

2. प्रस्तुत द्वितीय अपील की सुनवाई आयोग द्वारा दिनांक 02/12/2024 को की गयी थी। उक्त तिथि को पारित आदेश का प्रस्तर 7 लगायत 10 निम्नानुसार हैः–

प्रस्तर 7. **सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के मूल अनुरोध पत्र के परीक्षण एवं उभय पक्ष के कथनों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को पंचायती अखाड़ा निर्मला को वन विभाग द्वारा पत्रांक 642 दिनांक 19.08.2013 के माध्यम से दी गयी अनापत्ति में उल्लेखित प्रतिबंध/शर्तों के अनुपालन संबंधी सूचना वांछित है। अपीलार्थी का कथन है कि उल्लेखित अनापत्ति में जिन शर्तों का अनुपालन करने की स्थिति में निर्माण की अनुमति दी गयी थी, उनका अनुपालन नहीं किया गया है इसलिए वांछित सूचना नहीं दी जा रही है। अवासीय निर्माण हेतु ली गयी अनापत्ति पर व्यवसायिक निर्माण किया गया तथा वन विभाग/राजाजी टाइगर रिर्जव द्वारा अनापत्ति की शर्तों का अनुपालन न किये जाने पर आतिथि तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। आश्रम द्वारा आतिथि न तो कोई ग्रीन बैल्ड बनाकर पौधे लगाए गए, न ही राजाजी पार्क में वाटर होल बनाने के लिए कोई धनराशि दी गयी है। अनापत्ति जारी किये जाने के 13 वर्ष बीतने के बाद भी आतिथि तक वन्य जीवों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु 5 लाख रूपये की धनराशि राजाजी टाइगर रिजर्व के टाईगर फाउन्डेशन में जमा नहीं करायी गयी।**

प्रस्तर 8. अपीलार्थी के कथन पर प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) द्वारा पत्र संख्या 642 दिनांक 19 अगस्त 2013 के माध्यम से जारी अनापत्ति का परीक्षण किया गया। पंचायती अखाड़ा को दी गयी अनापत्ति निम्नवत हैः

सचिव, पंचायती अखाड़ा निर्मल (रजि०) (श्री निर्मल पंचायाती अखाड़ा) सतीघाट रोड़ कनखल–249208 जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) को स्थल मायापुर वन ब्लाक की सीमा पर स्थित बाय पास रोड के पूर्व दिशा स्थित अखाड़ा पंचायती

JP

निर्मल के स्वामित्व की निजी भूमि (खसरा 102, 103) में आश्रम द्वारा आवासीय निर्माण से सम्बन्धित है के सम्बन्ध में निदेशक, राजाजी रा०पार्क देहरादून द्वारा पत्र सं0 1032/14–1 दिनांक 20.12.2012 तथा पत्र संख्या 1892/14–1 दिनांक 18–03–2013 द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति तथा सदस्य सचिव State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttarkhand Dehradun के पत्रांक 109 ईसी–8(16) 2013 दिनांक 14–08–2013 द्वारा दी गयी आख्या के आधार पर वन्यजीव संरक्षण के दृष्टिकोण से निम्न शर्तों के तहत इस कार्यालय को आपत्ति नहीं है।

1. निदेशक राजाजी रा०पार्क द्वारा पत्रांक 1305/14–1 दिनांक 20–12–2012 तथा पत्रांक 1802/14–1 दिनांक 18–03–2013 लगायी गयी शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। विशेषकर आश्रम से निकलने वाले प्रकाश की रोशनी को बाहर जाने से रोकने के उपाय अनिवार्य रूप से करने होंगे।

2. राजाजी रा0पार्क की तरफ आश्रम द्वारा ग्रीन बैल्ट बनाकर चौड़ी पत्ती के ऊंची प्रजाति का वृक्षारोपण किया जायेगा।

3. किसी भी दशा में वन्यजीव संरक्षण अधिनिमय 1972 यथा संशोधित 2006 तथा शासनादेशों व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

4. वन्यजीवों के पीने के पानी की व्यवस्था हेतु राजाजी पार्क में उपयुक्त स्थान पर एक बड़े वाटर बनाने? राजाजी रा0 पार्क को धनराशि उपलब्ध करायेगें।

5. जैविक तथा अजैविक कूढ़े का निस्तारण वैज्ञानिक विधि से करना अनिवार्य होगा।

6. राजाजी टाइगर रिजर्व के टाइगर फाउन्डेशन में रू0 5,00,000(पांच लाख रूपये) की धनराशि दो वर्ष के

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
JP
देहरादून

अंतर्गत दो समान किस्तों में वन्यजीवों के संरक्षण तथा प्रबंधन हेतु उपलब्ध कराने होंगे।

7. भविष्य में वन्यजीवों के संरक्षण के हित को ध्यान में रखते हुये यदि कोई निर्देश/शर्त लगायी जाती है तो उसका अनुपालन करना होगा।

प्रस्तर 9. **प्रस्तुत अपील में मूल अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या 1 से 6 अनापत्ति हेतु उपरोक्त उल्लेखित शर्तों से संबधित है। वर्णित अनापत्ति निदेशक राजाजी पार्क, देहरादून के पत्र के क्रम में दी गयी है अतः प्रश्नगत अपील में सूचना अधिकार अधिनियम की धारा (5) के अंतर्गत निदेशक वन संरक्षक राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून को पक्षकार बनाते हुए निर्देशित किया जाता है कि प्रमुख वन संरक्षक के पत्रांक 642 दिनांक 19.08.2013 के अनुपालन में कृत कार्यवाही एवं अद्यतन स्थिति पर लोक सूचना अधिकारी राजाजी टाइगर रिजर्व कार्यालय के माध्यम से आगामी सुनवाई पर विस्तृत आख्या आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाये।**

प्रस्तर 10. **अपीलार्थी के मूल अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या 7 को प्रस्तुत अपील से हटाते हुए लोक सूचना अधिकारी/वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज राजाजी टाइगर रिजर्व, हरिद्वार को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी आगामी सुनवाई से पूर्व अपीलार्थी को प्रमुख वन संरक्षक के पत्रांक 642 दिनांक 19.08.2013 में दी गयी शर्तो के अनुपालन में की गयी कार्यवाही के संबंध में बिन्दु संख्या 1 से 6 तक की संशोधित सूचना एवं बिन्दु संख्या 8 के सापेक्ष राजाजी टाइगर रिजर्व हरिद्वार रेंज का मानचित्र अपीलार्थी को आगामी सुनवाई से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।**

3. आयोग द्वारा दिनांक 15.01.2025 को पारित आदेश का प्रस्तर 3 लगायत 8 निम्नानुसार हैः–

उत्तराखण्ड सूचना आयोग JP देहरादून

प्रस्तर 3. आयोग द्वारा दिये गए निर्देश के क्रम में निदेशक/वन संरक्षक राजाजी टाइगर रिजर्व देहरादून द्वारा अपने लिखित अभिकथन के माध्यम से अवगत कराया गया किः—

बिन्दु संख्याः 03 वन्यजीवों के संरक्षण एवं प्रबन्धन हेतु राजाजी राष्ट्रीय पार्क को रू0 5,00000/— की धनराशि प्राप्त नहीं हुई हैं।

बिन्दु संख्याः— 04 वन्यजीवों के संरक्षण एवं प्रबन्धन हेतु धनराशि प्राप्त न होने के कारण कार्य नहीं कराये गये हैं।

बिन्दु संख्याः— 05 पंचायत्ती अखाडा निर्मल (रजि), सतीघाट रोड कनखल जिला हरिद्वार से रू0 5,00000/— (पाँच लाख) की धनराशि प्राप्त न होने के कारण सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारियों को कार्य करने हेतु निर्देशित नही किया गया।

मा० आयोग के संज्ञान में लाना है कि उपरोक्त जानकारी कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर दी जा रही है। प्रकरण की अध्यतन स्थिति हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 1846/12—1 दिनांक 04.01.2025 से सम्बन्धित सचिव पंचायती अखाडा निर्मल (रजि), सतीघाट रोड कनखल जिला हरिद्वार से जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु रजिस्टर्ड पत्र से पत्र प्रेषित किया गया था, जो कि सम्बन्धित सचिव के लम्बे समय से बाहर होने के कारण वापस प्राप्त हो गया है। सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी हरिद्वार को भी उपरोक्त सचिव, पंचायती अखाडा निर्मल (रजि), सतीघाट रोड कनखल जिला हरिद्वार से व्यक्तिगत सम्पर्क करने हेतु समय—समय पर निर्देशित किया गया है।

प्रस्तर 4. गत दिनांक 02.12.2024 को आयोग में सुनवाई के उपरांत वन क्षेत्राधिकारी हरिद्वार रेंज राजाजी टाइगर रिजर्व द्वारा पंचायती अखाड़ा को कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड के पत्रांक

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून

JP

642/12–13 दिनांक 19.08.2013 द्वारा दी गयी अनापत्ति में शर्तों के अनुपालन के संबंध में दिनांक 10 दिसंबर 2024 को पत्र प्रेषित किया गया। वन क्षेत्राधिकारी श्री विजेन्द्र दत्त तिवारी द्वारा पत्रांक 360/22 दिनांक 10.12.2024 के माध्यम से प्रेषित पत्र में निम्नवत स्पष्ट किया गया है:–

मायापुर ब्लाक की सीमा पर स्थित ज्वालापुर–ललतारो मार्ग के दांयी ओर स्थित निर्मल पंचायती अखाडा की निजी भूमि के खसरा सं०– 102, 103 में आश्रम द्वारा आवासीय निर्माण के सम्बन्ध में कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड के पत्रांक 642/12–13 दिनांक 19.08.2013 के द्वारा निर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार अनापत्ति दी गयी थी।

- शर्त संख्या 01 के अनुसार आश्रम से निकलने वाली रोशनी को रोकने के उपाय आवश्यक रूप से करने थे लेकिन आपके द्वारा आश्रम को बहुमंजिला आवसीय पलैट /विवाह हॉल में परिवर्तित किया गया है। आपके द्वारा फ्लैट व विवाह हॉल का मुख्य गेट विपरित दिशा राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर खोला गया है। जिससे विवाह हाल व फ्लैट की रोशनी जंगल की तरफ पड़ती है तथा विवाह हाल में तेज ध्वनी से बजने वाले डी० जे० के कारण वन्यजीवों के प्राकृतवास में भारी नुक्सान हो रहा है। अतः आप राजाजी टाइगर रिजर्व की तरफ खुलने वाले गेट को व रोशनी/ध्यानी को तत्काल बन्द करना सुनिश्चित करें।

- शर्त संख्या 02 के अनुसार राजाजी टाइगर रिजर्व की तरफ आश्रम द्वारा ग्रीन बैल्ट बना कर चौडी पत्ती की ऊंची प्रजाति का वृक्षारोपण किया जाना था, जो कि आपके द्वारा नहीं किया गया। अतः आप उक्त बैल्ट में चौडी पत्तीदार वृक्षों का रोपण कर ग्रीन बेल्ट बनाने का कार्य करें।

JP

- शर्त संख्या 03 के अनुसार किसी भी दशा में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972/संशोधित 2006 तथा शासनादेश व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जाना था, लेकिन आपके द्वारा उपरोक्त गतिविधियों के कारण शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है।

- शर्त संख्या 04 के अनुसार वन्यजीवों के पीने के पानी की व्यवस्था हेतु राजाजी टाइगर रिजर्व के एक बडा वाटरहोल बनाने हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जानी थी, लेकिन आपके द्वारा आतिथि तक उक्त धनराशि जमा नहीं की गयी है। उक्त 5.00 लाख की धनराशि निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।

- शर्त संख्या 05 के अनुसार जैविक एवं अजैविक कूडे का निस्तारण वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाना था, किन्तु उक्त शर्त का भी आपके द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

- शर्त संख्या 06 के अनुसार आपको राजाजी टाइगर रिजर्व के टाइगर फाउन्डेशन को रूपये 5,00,000.00 (रू० पांच लाख मात्र) की धनराशि 2 वर्षों में 2 किस्तों में वन्यजीवों के संरक्षण तथा प्रबन्धन हेतु दी जानी थी, परन्तु आपके द्वारा उक्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गयी है।

- शर्त संख्या 07 के अनुसार भविष्य में वन्यजीवों के संरक्षण के हित को ध्यान में रखते हुये यदि कोई निर्देश/शर्त लगाई जाती है, तो आपको उसका अनुपालन करना होगा।

इस कार्यालय/ श्रीमान वन्यजीव प्रतिपालक, हरिद्वार कार्यालय के पत्र सं० 907/27 दिनांक 15.03.2021, पत्र सं० 1348/अतिक्रमण दिनांक 22.03.2021, पत्र सं0 374/22 दिनांक 30.10.2021, पत्र सं० 653/22 दिनांक 11.02.2022, पत्र सं० 1092/21 दिनांक 04.06.2013, पत्र सं0 49/21 दिनांक 18.07.2023, पत्र सं0 207/21

उत्तराखण्ड सूचना आयोग JP देहरादून

दिनांक 02.09.2023, पत्र सं० 285/21 दिनांक 18.09.2023 पत्र सं० 851/21–1 दिनांक 01.12.2023 एवं पत्र सं0 971/21 दिनांक 23.12.2023 के द्वारा कई बार आपको पत्राचार किया गया, किन्तु आपके द्वारा अनापत्ति में दी गई शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। पुनः आपको अवसर प्रदान करते हुये उपरोक्त शर्तों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी अनापत्ति को निरस्त करने की संस्तुति एवं विधिक कार्रवाही हेतु उच्चस्तर को लिखा जायेगा।

4.1. वन क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति जिलाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेशक/वन संरक्षक राजाजी टाइगर रिर्जव देहरादून, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार, सचिव हरिद्वार रूडकी विकास प्राधिकरण एवं नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार को पंचायती अखाड़ा निर्मल के विरुद्ध शर्तों के विपरीत कार्य करने पर कार्यवाही का अनुरोध किया गया है। **वन क्षेत्राधिकारी हरिद्वार रेंज राजाजी टाईगर के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार को पंचायती अखाड़ा निर्मल द्वारा संचालित वेदाग्रीन वैंकेटहाल में संचालित तेज ध्वनी से डी.जे. साउण्ड सिस्टम पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है जबकि नगर आयुक्त से वेदाग्रीन वैंकेटहाल में तेज लाइटें एवं हैलोजन लाइटों के प्रयोग पर रोक लगाने तथा सचिव हरिद्वार रूडकी विकास प्राधिकरण से वेदाग्रीन वैंकेटहाल एवं फ्लैट निर्माण हेतु स्वीकृत मानचित्र एवं शर्तों के अनुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।**

4.2. आयोग द्वारा दिनांक 02.12.2024 को दिए गए निर्देशों अनुपालन में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वन क्षेत्राधिकारी हरिद्वार रेंज राजाजी टाईगर रिजर्व द्वारा कार्यालय पत्रांक 360/22 दिनांक 10.12.2024 द्वारा पंचायती अखाडा, निर्मल (रजि0), सीताघाट रोड़ कनखल जिला हरिद्वार को अनापत्ति प्रमाण पत्र में दी गयी शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के संबंध में पंजीकृत पत्र प्रेषित किया गया पंजीकृत पत्र संबंधित अखाडा के

सचिव के बाहर होने के कारण वापस वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

प्रस्तर 5. पत्रावली के परीक्षण तथा निदेशक राजाजी राष्ट्रीय पार्क एवं वन क्षेत्राधिकारी की आख्या/प्रेषित पत्रों से स्पष्ट है कि पंचायती अखाड़ा निर्मल (रजि०) (श्री निर्मल पंचायाती अखाड़ा) सतीघाट रोड़ कनखल हरिद्वार में मायापुर ब्लाक की सीमा पर स्थित ज्वालापुर लालतारो मार्ग स्थित अखाड़े की निजी भूमि के खसरा संख्या 102, 103 में आवासीय निर्माण के लिए अनापत्ति हेतु निदेशक राजाजी रा०पार्क द्वारा पत्रांक 1305/14–1 दिनांक 20–12–2012 तथा पत्रांक 1802/14–1 दिनांक 18–03–2013 के पत्र में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया। **यह आश्चर्यजनक है कि पंचायती अखाड़ा द्वारा अनापत्ति की शर्तों का अनुपालन किये बिना निर्माण कार्य किया एवं राजजी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया गया। राजाजी प्रशासन द्वारा पंचायती अखाड़ा से वन्यजीवों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु निर्धारित की गयी राशि भी नहीं वसूल की गयी। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इस संबंध में सूचना नहीं मांगी गयी होती तो यह कभी संज्ञान में ही नहीं आता कि राजाजी प्रशासन द्वारा पार्क के नजदीक निर्माण हेतु अनापत्ति की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।**

प्रस्तर 7. प्रस्तुत प्रकरण अत्यंत संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण विषय से जुड़ा है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क द्वारा वन्यजीव एवं प्र्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन न किया जाना अत्यंत गंभीर है। वन क्षेत्राधिकारी हरिद्वार रेंज राजाजी टाईगर रिर्जव हरिद्वार की आख्या से यह भी प्रतीत हेाता है कि पंचायती अखाड़ा निर्मल (रजि०) (श्री निर्मल पंचायाती अखाड़ा) द्वारा आवासीय निर्माण हेतु अनापत्ति के सापेक्ष प्रश्नगत स्थल पर व्यवसायिक निर्माण किया गया है। प्रकरण में वन क्षेत्राधिकारी राजाजी टाईगर रिर्जव हरिद्वार द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला हरिद्वार, सचिव हरिद्वार रूडकी विकास प्राधिकरण एवं नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार से

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

JP

कार्यवाही का अनुरोध किया गया है। **विषय की संवेदनशीलता एवं महत्ता के आलोक में सूचना अधिकार अधिनियम की धारा (18) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा (5) के अंतर्गत प्रस्तुत अपील में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला हरिद्वार, सचिव हरिद्वार रूडकी विकास प्राधिकरण एवं नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार को पक्षकार बनाते हुए निर्देशित किया जाता है कि आगामी तिथि पर लोक सूचना अधिकारियों के माध्यम से वन क्षेत्राधिकारी हरिद्वार रेंज राजाजी टाइगर रिर्जव के पत्र संख्या 360/22 दिनांक 10 दिसंबर 2024 पर कृत कार्यवाही के संबंध में अद्यतन आख्या आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाये।**

प्रस्तर 8. निदेशक/वन संरक्षक राजाजी टाईगर रिजर्व एवं वन क्षेत्राधिकारी हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अद्यतन स्थिति हेतु सचिव पंचायती अखाड़ा (निर्मल) को प्रेषित पंजीकृत पत्र संबंधित सचिव के लम्बे समय से बाहर होने के कारण वापस प्राप्त हुए हैं। वर्णित स्थिति में निदेशक/वन संरक्षक राजाजी टाईगर रिजर्व को निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अनापत्ति हेतु शर्तों के अनुपालन की अद्यतन स्थिति एवं कृत कार्यवाही से लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से आगामी सुनवाई पर अवगत कराया जाये।

4. आयोग के आदेश के क्रम में निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून द्वारा पत्र दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के माध्यम से निम्नानुसार आख्या प्रस्तुत की गयीः–

i. सचिव पँचायती अखाड़ा द्वारा अपने पत्रांक–08/2025, दिनांक–27.03.2025 से प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड द्वारा दी गई शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या लोक सूचना अधिकारी/वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज, राजाजी टाइगर रिजर्व को प्रेषित की गई है। उक्त आख्या वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–618/पंचायती

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून

JP

अखाड़ा हरिद्वार, दिनांक 28.03.2025 से इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। जिसकी प्रति संलग्न है।

ii. उपरोक्त आख्या में प्रयोक्ता एजेंसी (पंचायती अंखाड़ा) द्वारा शर्त संख्या–06 के अनुपालन में रू० 5.00 लाख का बैंक ड्राफ्ट (संख्या–000236, दिनांक–27.03.2025) इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है जिसे दिनांक–02.04.2025 को 'राजाजी टाइगर कन्जरवेशन फाउण्डेशन, उत्तराखण्ड' के बचत खाते में जमा कर दिया गया है।

5. निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून द्वारा अपनी उपयुक्त आख्या दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के साथ पंचायती अखाड़ा द्वारा दिनांक 27/03/2025 को वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज, राजाजी टाइगर रिजर्व को प्रेषित पत्र की प्रति संलग्न की गयी है, जिसमें निम्नानुसार कथन किया गया है:–

i. शर्त संख्या –1 के अनुपालन में तेज रोशनी को बन्द कर दिया गया है व ध्वनि पर भी उच्चतम न्यायालय के मानकों के अनुसार रोक लगा दी गई।

ii. शर्त संख्या–2 राजाजी टाइगर रिजर्व की तरफ आश्रम द्वारा चौड़ी पत्ती के ऊंची प्रजाती के वृक्षों द्वारा ग्रीन बेल्ट बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है व आगामी वर्षा ऋतु में उक्त पेड लगा दिये जायेंगे।

iii. शर्त संख्या – 3 के अनुसार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972/ संशोधित 2006 तथा शासनादेशों व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेशों के पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।

iv. शर्त संख्या – 4 वन्य जीवो के पीने के पानी की व्यवस्था हेतु राजाजी टाईगर रिजर्व के एक बड़ा वाटर होल बनाने हेतु धनराशी उपलब्ध कराने हेतु अखाडे की कमेटी के समक्ष इस तथ्य को रखते हुये जल्द ही इसकी कार्यवाही की जाएगी।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग JP देहरादून

v. शर्त संख्या – 5 जैविक एवं अजैविक कुडे का निस्तारण नगर निगम की व्यवस्था के अनुसार पूर्ण रूप से किया जा रहा है और किसी भी प्रकार का कोई कूड़ा राजाजी टाइगर रिजर्व की तरफ नहीं जाने दिया जाता है।

vi. शर्त संख्या – 6 के अनुपालन में 5,00,000 का एक डिमांड ड्राफ्ट संख्या 000236 दिनांक 27/03/2025 एक्सिस बैंक ली का दिया जा रहा है।

vii. शर्त संख्या – 7 के अनुसार भविष्य में वन्यजीवों के संरक्षण के हित को ध्यान में रखते हुए यदि कोई निर्देश/शर्त लगाई जाती है तो उसका अनुपालन अवश्य किया जायेगा।

6. आज सुनवाई के समय निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून की आख्या दिनांक 15 अप्रैल, 2025 एवं उसके साथ संलग्न पंचायती अखाड़ा के पत्र दिनांक 27/03/2025 की प्रति मय संलग्नकों सहित अपीलार्थी को हस्तगत कराते हुए उनसे इसकी प्राप्ति ली गयी। लोक सूचना अधिकारी/वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज राजाजी टाइगर रिजर्व, हरिद्वार को निर्देशित किया जाता है कि पंचायती अखाड़ा द्वारा उन्हें जो दिनांक 27/03/2025 को 7 शर्तों पर आख्या दी गयी है उसका अनुपालन सुनिश्चित करायें। स्पष्ट किया जाता है कि एन0ओ0सी0 की शर्तों का कड़ाई से अनुपालन होना चाहिए, पूर्व में इन शर्तों का अनुपालन नहीं हुआ है, अतः यह ध्यान रखा जाये कि शर्तों के अनुपालन में पंचायती अखाड़ा द्वारा पत्र दिनांक 27/03/2025 के माध्यम से जो आश्वासन दिया गया है उसका अनुपालन यथाशीघ्र सुनिश्चित कराया जाये।

7. प्रस्तुत अपील में सुनवाई के दौरान स्पष्ट हुआ कि राजाजी टाइगर रिजर्व द्वारा टाइगर रिजर्व से लगे क्षेत्र में निर्माण हेतु अनापत्ति की शर्तों का अनुपालन नहीं हो रहा है। प्रस्तुत प्रकरण में आयोग द्वारा संज्ञान लिये जाने पर 13 वर्षों बाद वन्य जीवों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु राजाजी

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
JP

टाइगर रिजर्व फाउन्डेशन गठित कर अनापत्ति की शर्त के अनुसार धनराशि जमा करायी गयी। निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व से अपेक्षा की जाती है कि प्रश्नगत प्रकरण का संज्ञान लेते हुए विभाग की ओर से अन्य प्रकरणों में दी गयी अनापत्ति की समीक्षा की जाये। प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा सूचना अधिकार का सदुपयोग कर जागरूक नागरिक की भूमिका का निर्वहन करते हुए लोकहित के एक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यानाकर्षण किया गया। जिसके लिए अपीलार्थी की सराहना की जाती है।

8. प्रस्तुत द्वितीय अपील में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आगे कोई अन्य बिन्दु विचार के लिए शेष नहीं है, अतः गुण–दोष के आधार पर प्रस्तुत द्वितीय अपील निक्षेपित की जाती है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

आज खुले में घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(योगेश भट्ट)
राज्य सूचना आयुक्त

दिनांकः 30.04.2025

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
देहरादून

JP